नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 136 पर उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी । प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित वाकियात को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित वाकियात को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु अनुरोध किया । तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट पत्रांक :भू.अ. /सीमाज्ञान/97/2065 दिनांक 14–11–17 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी में अंकित खसरा नंबर 1043 रकबा 0.91है0 अप्रार्थीगणो के नाम तथा अप्रार्थीगणो की खातेदारी में दर्ज खसरा नंबर 944 रकबा 1.00है0 में से रकबा 0.09है0 ,अप्रार्थीगणो के खसरा नंबर 935 की तरफ एवं 944की पूर्व दिशा की ओर यथावत् रखते हुए शेष 0.91 है0 पर प्रार्थीकी खातेदारी मौके के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है ।अंकित किया है ।

इस प्रकार तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ,तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी में अंकित खसरा नंबर 1043 रकवा 0.91है0 वाके ग्राम कुस्तला अप्रार्थीगणो 1 व 2 के नाम तथा अप्रार्थीगणो की खातेदारी में दर्ज खसरा नंबर 944 रकबा 1.00है0 वाके ग्राम कुस्तला में से रकबा 0.09है0 अप्रार्थीगणो के खसरा नंबर 935 की तरफ एवं खसरा नंबर 944 की पूर्व दिशा की ओर यथावत रखते हुए शेष 0.91हैक्टयर पर प्रार्थी की खातेदारी मौके के अनुसार दुरूस्त किया जावे ।

निर्णय सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.14 15:26:38 IST
Reason: SelfAttested